प्रेषिका,

अलका चौधरी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद ।

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल ,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय— <u>दिनांक 23.09.2019 से 25.09.2019 तक जे0टी0आर0आई0 उ0प्र0 लखनऊ में ट्रेनिंग के सम्बन्ध में</u>।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0—454/एडमिन. (सर्विसेज)/2019, दिनांकः सितम्बर—05,2019 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 23.09.2019 से 25.9.2019 तक न्यायिक प्रशिक्षण अनुसन्धान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ, में तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है।

महोदय, यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान समय में जनपद न्यायालय मुरादाबाद में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त केवल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आर्थिक अपराध मुरादाबाद कार्यरत है । इसके अतिरिक्त अन्य अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय रिक्त चल रहे हैं तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री विभा धामा, वर्तमान समय में तीन माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु जे0टी0आर0आई0 उ0प्र0 लखनऊ, में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आर्थिक अपराध मुरादाबाद प्रत्येक सप्ताह के चार दिवस में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट का कार्य सम्पादित करती हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि अधोहस्ताक्षरी भी दिनांक 23.09.2019 से 25.9.2019 तक कुल तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जे0टी0आर0आई0 उ0प्र0 लखनऊ में उपस्थित रहती हैं तो उस स्थिति में जनपद न्यायालय मुरादाबाद में मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्यो के साथ—साथ अर्जेण्ट प्रकृति के कार्य, जैसे बेल रिमाण्ड आदि का कार्य भी प्रभावित होगा ।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कारणों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 23.09.2019 से 25.9.2019 तक न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान् संस्थान लखनऊ में आयोजित होने वाली तीन दिवसीय कार्यक्रम से मुक्त करने के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक –07.09.2019

भवदीया,

(अलका चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रॉक: 1932/2019 /प्रशा0। मुरादाबाद दिनॉकित : 07.09.19

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल ,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, को सादर अग्रसारित ।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
7/9/19